मांगी गयी है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कोठी नं० 11, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ का स्वामित्व

2256. **श्री राम नरेश कुशवाहा :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोठी नं० 11, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ के मालिक के पाकिस्तान चले जाने के बाद कस्टोडियन ने इस सम्पत्ति को उनकी मां के कब्जे में उसके अपने जीवन पर्यन्त मात्र आवासीय प्रयोजन के लिए रख छोड़ा था ; और

(ख) उक्त सम्पत्ति का मालिक अब कौन है क्योंकि इसके मालिक की मां की अब मृत्यु हो चुकी है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना उत्तर प्रदेश सरकार से मांगी गयी है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

Purchase of cotton by the Maharashtra Government

2257. DR. BAPU KALDATE: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Maharashtra Government have been paying to the farmers more than the price prescribed by the Cotton Corporation of India under the Cotton Monopoly Purchase Scheme;

(b) whether Government have advised the Maharashtra Government not to purchase cotton at higher prices than the price prescribed/paid by the Cotton Corporation of India;

(c) if so, what are the reasons therefor; and

(d) whether there is demand for more cotton in the market?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI RAM NIWAS MIRDHA): (a) Under the Cotton Monopoly Procurement Scheme, the Maharashtra State Co-operative Cotton Growers' Marketing Federation is paying guaranteed prices which are same as minimum support prices fixed by the Government of India for different varieties of cotton. These prices are same as those paid by the Cotton Corporation of India for purchases under prices support operations.

(b) and (c) Do not arise in view of reply to (a) above.

(d) Yes, Sir.

पाकिस्तान से विस्थापित लोगों को भारतीय नागरिकता का दिया जाना

2258. **डा० रत्नाकर पाण्डेय :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले 40 वर्षों से काश्मीर में बसे पाकिस्तानी विस्थापित भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिये लम्बे समय से आन्दोलन कर रहे हैं ;

(ख) क्या उनकी सन्तानों को भी भारतीय नागरिकता प्रदान करने में कोई कठिनाई है ; और

(ग) यदि हां, तो वे कठिनाइयां क्या हैं ?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) जिन व्यक्तियों ने 1947 में उन क्षेत्रों में से जो अब पाकिस्तान में हैं, प्रवास किया है, उन्हे संविधान के अनुच्छेद 6 के अधीन भारतीय नागरिक समझा गया।

(ख) और (ग) नागरिकता अधिनियम, 1955 के विद्यमान उपबंधों के अधीन कोई भी बालक जिसका जन्म 26 जनवरी, 1950 को अथवा उसके